न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 128/2024

वादी :–
चेतनराम मेघवाल पुत्र तेजाराम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा
तहसील पुष्कर जिला अजमेर हाल निवासी लाडपुरा तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–
संदीप मेघवाल पुत्र तेजाराम
गोविन्द पुत्र तेजाराम
करण मेघवाल पुत्र तेजाराम
तिवादी संख्या 1 से 3 नाबालिंग जरिये कुदरती वली पिता तेजाराम पुत्र नानू राम
जातियान मेघवाल निवासीगण रामपुरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर
ल निवासी लाडपुरा तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।
–कमला पत्नि तेजारम जाति मेघवाल निवासी रामपुरा तहसील पुष्कर जिला अजमेर
– तहसीलदार रियांबड़ी

दावा बाबज खातेदारी घोषणा,बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88,53व 188 आर.टी.
एक्ट

निर्णय

दिनांक :–16/10/24

वादी की ओर से घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का निम्नलिखित वाद पेश कर निवेदन है कि :–

1–यह है कि मौजा लाडपुरा के खसरा नंबर 1533 रकबा 0.01 हैक्टर,खसरा नंबर 1534 रकबा 1.78 हैक्ट की भूमि प्रतिवादी संख्या 4 की खातेदारी की काश्त व कब्जासुद थी। प्रतिवादी संख्या 4 ने वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये रजिस्टर्ड बेचाननामा के बेचान कर दी। जिससे उक्त खसरान की भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुद भूमि आयी हुई है। जिसकी नकल संलग्न पेश है।

2–यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 स 3 नाबालिंग है। जिनकी कुदरती वली पिता तेजाराम है। जिससे वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व कुदरती वलिया पिता की सहमति से उक्त खसरान की भूमि का मौके पर बंटवारा कर लिया गया है। जिसमें वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बराबर–बराबर 1/4–1/4 हक व हिस्सा की खातेदारी का ईन्द्राज चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्सा के अनुसार ही मौके पर काश्त व काबिज चले आ रहे है। तथा मौके पर अपने अपने बंट की जमीन पर सीवें माठें कायम कर ली गई है। और शांतिपूर्वक काश्त व कब्जा चला आ रहा है। मगर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी का इन्द्राज सामलाती चला आ रहा है। इसलिए अपने अपने बंट की भूमि का अलग से खातेदारी का इन्द्राज करवाने को लेकर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता को कहा तो प्रतिवादी इंकार हो गये। जिससे वादी यह खातेदारी घोषणा का वाद पेश कर रहा है।

3–यह है कि खसरा नंबर 133 रकबा 0.01 हैक्टर पर रहवासी पक्का मकान बना हुआ है। तथा इसमें बेरा खुदा हुआ है जिस पर विद्युत कनेक्शन भी ले रखा है। जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के शामलाती रखा गया है।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

ह है कि खसरा नंबर 1534 रकबा 1.78 हैक्टर का मौके पर तो बंटवाड़ा कर लिया हैऔर माठें कायम कर ली है। जो बंटवाड़ा निम्न प्रकार से है:–

दी के बंट में :–

लाडपुरा की सरहद में स्थित खसरा नंबर 1534 रकबा 1.78 हैक्टर में सें रकबा 0.4450 र नजरी नक्शा में मार्क 01 से दर्शित भूमि की वादी की बंटसुदा खातेदारी की काश्त व ासुद है।

तिवादी संख्या 1 के बंट में :–

लाडपुरा की सरहद में स्थित खसरा नंबर 1534 रकबा 1.78 हैक्टर में सें रकबा 0.4450 र नजरी नक्शा में मार्क 02 से दर्शित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की बंटसुदा खातेदारी की त व कब्जासुद है।

प्रतिवादी संख्या 2 के बंट में :–

लाडपुरा की सरहद में स्थित खसरा नंबर 1534 रकबा 1.78 हैक्टर में सें रकबा 0.4450 र नजरी नक्शा में मार्क 03 से दर्शित भूमि प्रतिवादी संख्या 2 की बंटसुदा खातेदारी की त व कब्जासुद है।

तिवादी संख्या 03 के बंट में :–

लाडपुरा की सरहद में स्थित खसरा नंबर 1534 रकबा 1.78 हैक्टर में सें रकबा 0.4450 र नजरी नक्शा में मार्क 04 से दर्शित भूमि प्रतिवादी संख्या 03 की बंटसुदा खातेदारी की त व कब्जासुद है।

यह है कि उपरोक्त बताये बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण शांतिपूर्वक काश्त व बेज चले आ रहे है। मगर उक्त बंटवारे के अनुसार वादी अपनी भूमि को विकसित बनाने अपनी खातेदारी भूमि में अलग से उपजाउ बनाना चाहता है। तथा किसी बैंक के रहन कर ऋण प्राप्त करना चाहता है। इस हेतू प्रतिवादीगण को बंटवाड़ा करवाने को कहा तो ार हो गये इसलिए दावा हाजा पेश है।

यह है कि वादग्रस्त आराजी का मौके पर बंटवाड़ा किया हुआ है। मगर खातेदारी का ाज सामलाती रूप से चला आ रहा है। जिसका फायदा उठाकर प्रतिवादीगण वादी को श्त नहीं करने दे रहे है। खातेदारी की आड़ में वादग्रस्त आराजी के विशेष भू भाग को ान करने पर आमादा है। जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई हक व अधिकार ी है। इसलिए वाद स्थायी निषेधाज्ञा का पेश है।

यह है कि इस्तदुआ वादी यह है कि दावा वादी की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण ा खर्चा के निमनलिखित तरीके से सादिर फरमायी जावें।

यह है कि वादग्रस्त आराजी का बंटवाड़ा वाद पत्र के पेरा संख्या 04 में बताये अनुसार भूमि दी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुदा है। खसरा नंबर 533 वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के सामलाती खातेदारी की काश्त व कब्जासुदा है।

. यह है कि वादग्रस्त खसरान की भूमि का उपर बताये अनुसार वादीव प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से के नाम अलग अलग खातेदारी का इन्द्राज किया जावें व नक्शे में अलग से तरमीम की जावे।

सी. यह है कि स्थाई निषेषाज्ञा इस आशय की जारी की जावें कि वादी के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करें।

डी. यह है कि दीगर दादरसी मुफीद वादी हो। अतः फरमायी जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जबाब बाबत जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी मय वकील व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 नाबालिंग जरिये कुदरती वलिया संरक्षक पिता तेजाराम व प्रतिवादी संख्या 04 मय वकील के न्यायालय हाजा में

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

उपस्थित होकर दिनांक 10.6.2024 को अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा बाद पहचान के तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस समायत की गई। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया गया कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 4 ने वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान की गई थी। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का काश्त व कब्जा है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 ने मौके पर बंटवारा किया हुआ है और उसी अनुसार सीवें माठे कायम की हुई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाने हेतू वाद पेश किया गया है। तथा विधिवत बंटवारे के लिए सहमत है और राजीनामा भी पेश कर दिया गया है। अतः वाद के पैरा संख्या 4 में बताये बंट व नजरी नक्शा में दर्शितानुसार पक्षकारान का बंटवारा कर दिया जावें। तथा अलग अलग नक्शे में तरमीम की जावें।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में मौजुद जमाबंदी मौजा लाडपुरा संवत् 2075 का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 नाबालिग है जो जरिये पिता तेजाराम कुदरती वलिया है। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 04 से रजिस्टर्ड खरीदसुदा भूमि है। जिसका सहमति से बंटवारा करवाना चाहते है। मौके पर बंटवारा किया हुआहै। मगर राजस्व रेकार्ड मे संयुक्त खातेदारी दर्ज है। वादग्रस्त आराजी में वादी व प्रतिवादीगण का संयुक्त काश्त व कब्जा है। समान हंक व हिस्से के अनुसार बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाना चाहते है। आपसी सहमति से समान हक व हिस्से का बंटवारा किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा के स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाता है :–

1–वादी के बंट में :–
मौजा लाडपुरा की सरहद में स्थित खसरा नंबर 1534 रकबा 1.78 हैक्टर में सें रकबा 0.4450 हैक्टर नजरी नक्शा में मार्क 01 से दर्शित अनुसार।

2–प्रतिवादी संख्या 1 के बंट में :–
मौजा लाडपुरा की सरहद में स्थित खसरा नंबर 1534 रकबा 1.78 हैक्टर में सें रकबा 0.4450 हैक्टर नजरी नक्शा में मार्क 02 से दर्शित अनुसार।

3– प्रतिवादी संख्या 2 के बंट में :–
मौजा लाडपुरा की सरहद में स्थित खसरा नंबर 1534 रकबा 1.78 हैक्टर में सें रकबा 0.4450 हैक्टर नजरी नक्शा में मार्क 03 से दर्शित अनुसार

4–प्रतिवादी संख्या 03 के बंट में :–
मौजा लाडपुरा की सरहद में स्थित खसरा नंबर 1534 रकबा 1.78 हैक्टर में सें रकबा 0.4450 हैक्टर नजरी नक्शा में मार्क 04 से दर्शित अनुसार।

5–मौजा लाडपुरा के खसरा नंबर 1533 रकबा 0.0100 हैक्टर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के सामलाती बंट में रखी जाती है।

तहसीलदार रियांबड़ी उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के बीच संलग्न नजरी नक्शानुसार बाई मिट्स बंटवारा किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व नक्शे में अलग अलग तरमीम किया जावें। इसी आशय का डिकी पर्चा जारी हो। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/10/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेशकुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
रियांबड़ी
जिला–नागौर